**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**20.11.2019 के**
**तारांकित प्रश्न सं. 60 का उत्तर**

**तेजस एक्सप्रेस**

***60. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक**
**श्री टी.आर. बालूः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** क्या सरकार का तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को विलंब के लिए क्षतिपूर्ति करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख)** क्या शताब्दी, राजधानी और अन्य सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के लिए भी इसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

**(ग)** क्या सरकार का तेजस एक्सप्रेस में और अधिक यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए इसके प्रत्येक यात्री को पूरक यात्रा बीमा देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(घ)** क्या राजस्व बढ़ाने के लिए रेलगाड़ियों के प्रचालन के निजीकरण की योजना के हिस्सा के एक रूप में तेजस एक्सप्रेस पहली ऐसी रेलगाड़ी है जिसे पूर्णतया आईआरसीटीसी चलाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ङ)** क्या सरकार को यात्री रेलगाड़ियों के निजीकरण के संबंध में कर्मचारियों/कर्मचारी संघों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

**(च)** क्या सरकार का कुछ और रेलगाड़ियों को तेजस एक्सप्रेस की श्रेणी में सम्मिलित करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**********

तेजस एक्सप्रेस के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को लोक सभा में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री टी.आर. बालू द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.60 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): भारतीय रेल द्वारा पायलट परियोजना के अंतर्गत लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई सेक्टरों पर 2 (दो) तेजस गाड़ी सेवाएं परिचालित करने के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) को प्राधिकृत किया गया है। लखनऊ-नई दिल्ली तेजस की सेवा 04.10.2019 से शुरू कर दी गई है। आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली-लखनऊ के यात्रियों को विलंब के लिए क्षतिपूर्ति को निम्नानुसार अधिसूचित कर दिया है:

1 घंटे से अधिक के विलंब के लिए - 100 रु.
2 घंटे से अधिक के विलंब के लिए - 250 रु.

(ख): जी नहीं। बहरहाल, शताब्दी, राजधानी और अन्य सुपरफास्ट गाड़ियों के 3 घंटे से अधिक विलंब से चलने पर यात्रियों द्वारा यात्रा नहीं करने पर धन वापसी नियमों के अनुसार किराया वापस किया जाता है।

(ग): आईआरसीटीसी द्वारा नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को 25 लाख रुपए तक का मानार्थ यात्री बीमा मुहैया कराने का उल्लेख किया गया है।

(घ) और (ड.): लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई सेक्टरों पर 2 (दो) तेजस गाड़ी सेवाओं की अनुमोदित पायलट परियोजना के तहत आईआरसीटीसी ढुलाई प्रभारों और चल स्टॉक के अभिरक्षण के लिए लागू प्रभारों का भुगतान करता है और किराया एवं गैर-किराया राजस्व वसूल करने के लिए प्राधिकृत है। दो मान्यताप्राप्त रेलवे कर्मचारी फेडरेशनों और उनसे संबद्ध ट्रेड यूनियनों तथा क्षेत्रीय रेलों में अन्य ट्रेड यूनियनों से यात्री गाड़ियों के निजीकरण के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। निजीकरण किए गए गाड़ी परिचालनों के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च): फिलहाल, तेजस एक्सप्रेस की श्रेणी में कुछ और रेलगाड़ियों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******